(12)
Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed five years.
Note 2 : Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 213/1/2007-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली समूह 'ग' भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध आहारविद के पद से , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, में आहारविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली समूह 'ख' भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आहारविद	1 *(एक) (2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु. **टिप्पणी**-आहारविद के नियमित पदधारकों की उपयुक्तता का आरंभ में 5500-9000 रु. के वेतनमान में आहारविद के उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा । यदि 'उपयुक्त' मूल्यांकन किया जाता है तो वह/वे आरंभिक गठन पर पद नियुक्त किया गया समझा जाएगा/समझे जाएं । यदि उन्नत वेतनमान में नियुक्ति के लिए 'अनुपयुक्त' मूल्यांकन किया जाता है तो वह/वे 4500-7000 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में समूह 'ग' पद धारण करता रहेगा/करते रहेंगे और मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य और पोषाहार या खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान या संस्थागत प्रबन्धन और आहारविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य । (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में डिग्री या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines. Delhi-110054

(8)

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य ।

(ख) किसी अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्थान में आहारविद् के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1--अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2--अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती **टिप्पण**-पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी । (क) (1) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । (2) जिन्होंने 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक--अध्यक्ष 2. भारसाधक अधिकारी (आहार विज्ञान विभाग)-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी--सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-11018/16/2003-आर आर/एमई-III]

के. के. झेल, अवर सचिव

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th July, 2007

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as it relates to the post of Dietician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dietician in the Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Dietician, (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service Admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dietician	1 (One)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministrial.	Rs. 5500-175-9000. **Note :** The suitability of the regular holders of the post of Dietician will be initially assessed by the competent authority for appointment to the upgraded post Dietician in the scale of pay of Rs. 5500-9000. If assessed 'suitable'he/they shall be deemed to have been appointed to	Not applicble	Not applicable

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

(4)
the post at the initial constitution. If assessed 'not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, he/they shall continue to hold Group 'C' post in the revised scale of Rs. 4500-7000 and the case would be reviewed every year.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :** (A) Postgraduate degree in Food and Nutrition or Food Service Management and Dietetics or Institutional Management and Dietetics from a recognized University or equivalent. or (i) Degree in Home Science from a recognised University or equivalent. (ii) Post Graduate diploma in Dietetics from a recognised University or Institute or equivalent. (B) One year experience as a Dietician in a hospital or Medical Institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	Direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding; (a) (i) analogous posts on regular basis; or (ii) with three year's service in grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; and Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Note applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation only) consisting of :— 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Officer in charge (Dietetics Department) —Member 3. Administrative Officer —Member	Consultation with Union Public service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/16/2003-RR/ME-III]

K.K. JHELL, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 144.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वयस्क शिक्षा निदेशालय, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक (श्रेणी 2) और आशुलिपिक (श्रेणी-3) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वयस्क शिक्षा निदेशालय में आशुलिपिक, श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणी-3, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वयस्क शिक्षा निदेशालय (आशुलिपिक, श्रेणी-2 और श्रेणी-3), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**–ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054.